Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of an under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की
	Government:-	गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन
	(Adverse comments made by any	अभियंता लोक निर्माण विभाग जशपुर को जशपुर
	officer or authority in Part-B or	जिले के जशपुर वनमण्डल में प्रस्तावित आगडीह
	Part-C or Part -D above should be	हवाई पट्टी के उन्नयन एवं विस्तारीकरण कार्य हेतु
	specifically commented upon)	4.365 हे. राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु
		वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रस्ताव पर राज्य
	ı	शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date:

2 -3-2016

Place:

Raipur

Name

Anil Kumar Sahu

Designation -

Secretary,

C.G. Govt.,

Forest Department